

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 19 मई, 2015 / 29 वैशाख, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

### LOCAL AUDIT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Dated, the 19th May, 2015

**No. 1-73/70-Fin (LA)Vol-7-2496.**—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Basant Singh, Deputy Director (Class-I-Gazetted), Local Audit Department, H.P. to the post of Joint Director/Joint Controller (Class-I-Gazetted) in the pay band of Rs.15600-39100 + 7800 Grade Pay with immediate effect.

Consequent upon the above promotion Shri Basant Singh is posted in Resident Audit Scheme, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan (H.P.) against vacancy.

He will remain on probation for a period of two years and will exercise his option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

As a result of the above promotion and posting Shri Padam Singh, Deputy Controller who is presently posted at HP Agriculture Produce Marketing Board, Khalini, Shimla on secondment basis is hereby repatriated with immediate effect and posted in the Headquarter Office, Local Audit Department, Shimla-9 against the post to be vacated by Shri Basant Singh on promotion as Joint Controller.

By order, Sd/-Principal Secretary (Finance).

### आबकारी एवं कराधान विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 15 मई, 2015

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ(10)—8/2013—लूज़.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ(5)—4/2005 तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र(असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 7 दिसम्बर,2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः——

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम 2015 है ।
  - (2) ये नियम प्रथम अप्रैल, 2015 को प्रवृत होंगें ।
- 2. प्ररूप मू0प0क0—15 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 से संलग्न प्ररूप मू0प0क0—15 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

## ''प्ररूप मू.प.क.–15

[हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 17 (vii) और 40(1) देखें] [केन्द्रीय विक्रय कर (हि0प्र0) नियम, 1970 का नियम 7 देखें] [हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 का नियम 6 देखें]

को समाप्त होने वाले मास/तिमाही के लिए विवरणीः	तारी		• • •	••	

### 1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज				
पता		संपर्क दूरभाष न0			

	, ,	
कर दाता की पहचान संख्या	आर्थिक (क्रियाकलाप) कोड	
आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी लेखा संख्या		
आयकर निर्धारण का वृत और स्थान :		

# 2. कुल आवर्त, कुल आवर्त से कटौतियां, विक्रयों का कराधेय आवर्त और कर की संगणना (अधिनियम की धाराएं 2(यघ) 6 और 9 देखें)

	(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य	(ग) ववरणी से
			संलग्न सुचियाँ
2अ.	(1) विवरणी अवधि के दौरान विक्रीत माल के लिए प्राप्त		
-	और प्राप्य विक्रय मूल्य		
	(2) विक्रय से अन्यथा, राज्य के भीतर या बाहर भेजे गए		
	माल का मूल्य		
2आ.	कुल आवर्त <b>(टर्नओवर)</b> [ <b>(1)</b> +(2)]		
2इ.	कुल आवर्त से कटौतियां [ धारा 6(3)]		
(1)	धारा 9 के अधीन कर मुक्त माल का विक्रय		
(2)	स्थानीय अभिकर्ताओं (रजिस्ट्रकृत व्यौहारियों) को विक्रय के		
	लिए भेजा गया माल		
(3)	राज्य के भीतर निर्यातकों को किया गया विक्रय ( फार्म एच		
	के विरूद्ध)		
(4)	उपरोक्त (कृपया विनिर्दिष्ट करें) स्तम्भ २ क (1), (2) और		
	(3) के अधीन न आने वाला कोई अन्य विक्रय / अन्तरण जो		
	हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005		
	के अधीन कटौती योग्य है		
(5)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य क अनुक्रम में विक्रय		
	(फार्म सी के विरूद्ध या फार्म सी + फार्म इ–I के विरूद्ध)		
(6)	भारत में आयात के अनुक्रम में विक्रय		
(7)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय		
(8)	राज्य के बाहर खरीदे माल का राज्य से बाहर विक्रय		
	(फार्म सी + फार्म इ–II के विरुद्ध )		
(9)	विक्रय के रूप में से अन्यथा भेजे गए माल का मूल्य:-		
	(i)अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में (फार्म		
	एफ के विरूद्ध)		
	(ii) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में		
(10)	कटौती के योग्य कोई अन्य विक्रय / उपरोक्त (4) से (9)		
( /	तक न आने वाली केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन		
	अन्य कटौतियां (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)		
(11)	कुल जोड़ 1 से 10		

	2.2	Ic	विक्रय का कराध्य आवत [2 आ (ख)— 2इ(11)(ख)]											'	ડબ. ૮સ	-I	
2. ਚ	(क) की व अनुस 2–ई	कर इर के इर का	का और	माल गपिसी प्रभाव	(ग) प्राप्त इकाई किए	छूट से गए	(घ) अनुसू 'ग'' विनिर्दिष्ट के क्रय	ची में माल का	L.,	कुल आवर्त (ख)+ प्र)}]	(च कर दर	.) की	(छ) क्या यह विक्रय प्ररूप–43	(ज) प्ररूप- की प्रस्तुत	संख्या	(झ) कर संख्या [(ङ))	
	ब्रेकअ	प	अववृद्धि	à	क्रयों	का	प्रभाव	(क्रय	(4) (6	1/3]			के विरूद्ध	(यदि	स्तम्भ	(ਹ)]	

		(एल एस–II )	प्रभाव (क्रय मूल्य कम करकेः केवल मूल्य परिवर्धन )	मूल्य कम करकेः केवल मूल्य परिवर्धन )		किया गया? (केवल 4 प्रतिशत की दर से विक्रय की दशा में लागू)	(छ) का उत्तर हां है)	
(1)					<b>%</b> प्रतिशत			
(2)	कुल कर रकम							

## 3. माल का क्रय, आयात और प्राप्ति और राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर की रकम की संगणना

3 अ	(क) विवरण	(ख) विवरणी से	(ग) रकम
		संलग्न सूची	
	कुल कीमत / माल का मूल्य		
(1क)	कर बीजक पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्योहारियों से किया	एल0पी— I	
	गया क्रय		
(1ख)	आगत पर प्रत्यय के लिए वांछनीय पूंजी माल की कुल	एल0पी—I	
	कीमत / मूल्य		
(1ग)	औद्यौगिक आगतों के रूप में उपयोग के लिए माल	एल0पी—I	
	(अनुसूची–क की भाग–II क की प्रविष्टि संख्या 55		
	के अधीन सूचीबद्ध है से भिन्न) का क्रय		
(1ঘ)	रजिस्ट्रीकृत छूट प्राप्त इकाई से क्रय किए		
	माल की कुल कीमत / मूल्य		
(2)	कर बीजक के बिना अन्य व्यौहारियों से किया गया क्रय		
(3क)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में		
	किया गया क्रय (फार्म सी के विरूद्ध)		
(3ख)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में क्रय		
	किया गया पूंजी माल (फार्म सी के विरूद्ध)		
(4क)	भारत में आयात के अनुक्रम में किया गया क्रय		
(4ख)	भारत से बाहर आयात के अनुक्रम में क्रय किया गया		
	पूंजी माल		
(5क)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में राज्य के बाहर		
	से क्रय (फार्म एच क विरूद्ध)		
(5ख)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में राज्य के भीतर		
	से क्रय (फार्म एच के विरुद्ध)		
(6) (7)	राज्य के भीतर आयातित		
(7)	राज्य से बाहर, विक्रय के लिए राज्य से बाहर किया		
	गया क्रय		
(8)	राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से विक्रय के लिए प्राप्त		
(9)	राज्य से बाहर व्यौहारियों से विक्रय के लिए प्राप्त		
(12)	(फार्म एफ के विरुद्ध)		
(10)	फार्म आई के विरुद्ध क्रय		
(11)	उपरोक्त (1) से (10) में नहीं आए कोई अन्य		
(40)	क्रय / प्राप्तियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
(12)	कुल [(1) से (11)]		

	अनुसार	और	कीमत	का	कराधेय	क्रय	दर	की रकम [(ग)×
	<b>3</b> अ(1)(क) +3	प्रभाव	(एल.	पी.	[(क)–(ख)]			(ਬ)]
	अ(1)(ख) +3अ	-II)						
	(1)(ग)का ब्रेकअप							
(1)							प्रतिशत	
(2)							प्रतिशत	
(3)							प्रतिशत	
(4)							प्रतिशत	
(5)	क्रयों पर संदत्त कर							
	की कुल रकम							

## 4. अन्य व्यौहारियों से प्राप्त विवरणी के साथ दी गई कानूनी घोषणाएं और प्रमाणपत्र

क्रम	प्ररूप	दिए गए	संव्यवहारों जिनके
संख्या	की	प्ररूपों	लिए प्ररूप दिए
	किर-	की संख्या	गए हैं, की कुल
(1)	सी		
(2)	इ−I		
(3)	इ–I I		
(4)	एफ		

क्रम	प्ररूप	दिए गए	संव्यवहारों की कुल
संख्या	की	प्ररूपों की	रकम जिनके लिए
	किरम	संख्या	प्ररूप दिए गए हैं,
(5)	एच		
(6)	आई		
(7)	जे		

# 5. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से राज्य में क्रय किए गए माल की बावत संदत्त कर की संगणना किन्तु जो आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा (हि0प्र0मू.प.क.अधिनियम की धारा 11 देखें)

कति	पय माल के क्रय की बाबत जिन परिस्थितियों में कर	क्रय मूल्य
संदत्त	किया गया हैत्र आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा	
	(ক)	(ख)
अ.	कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से यथा क्रय	
	किए गए वर्णित के सिवाए समस्त माल जब,–	
(1)	दूर—संचार नेटवर्क या विद्युत उत्पादन और वितरण या विद्युत	
(2)	उनके क्रय पर कर् 4 प्रतिशत की दर या कम् दर, पर	
	संदत्त किया गया हो, किन्तु ऐसा माल विक्रय के रूप में से अन्यथा व्ययनित किया गया हो;	
(3)	धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के बनाने या पैक	
	करने में उपयोग किया गया हो (सिवाए तब जब ऐसा माल भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रीत किया	
	हो) ;	
(4)	कारबार के बंद करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के	
	रद्दकरण के दिन, चाहे क्रय किए गए रूप में या विनिर्मित या प्रसंस्कृत रूप में, स्टॉक में छोड़ा गया हो।	
(5)	धारा 11 (7) (ग) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बनाया गया	
(6)	धारा 11 (7) (घ) और (ङ) के अंतर्गत आने वाला	
(7)	धारा 11 (७) (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग	
( )	किया गया	
(8)	कर बीजक उपलब्ध नहीं है या जारी नहीं किया गया है	
	या जारी किया गया मूल कर बीजक, प्रभारित कर के	

	पृथक ब्यौरे नहीं दर्शा रहा है	
(9)	कर की रियायती दर संदत्त करने के पश्चात् किसी	
	औद्योगिक इकाई से किया गया क्रय	
(10)	धारा 11(8) के अधीन यथा उपबन्धित आगत कर	
	प्रतिबन्धित माल की अनुसूची के अंतर्गत आने वाला	
(11)	अन्य क्रय, जिनकी बाबत कर संदत्त किया गया, जो	
	आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा	
(12)	धारा 11 (3) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किया गया	
	ईंधन और ल्यूबरीकेण्ट का क्रय	
(13)	धारा 11 (4) (क) और 11(4)(ख) में विनिर्दिष्ट	
	परिस्थितियों में ईंधन और ल्यूबरीकेण्ट्स के क्रय के सिवाय	
	माल का क्रय	

## आ. कुल जोड़ [(1)से(13)]

इ—विभिन्न दरों पर आगत कर की संगणना	(ग)	(ঘ)	(ভ.)	(च)	(छ)	(ज) कुल जोड़ (ग) से (छ)
(1) कर दर के अनुसार अ (ख) का ब्रेकअप	%	%	%	%	%	
(2) कर की दर						
(3) आगत कर का वापिस किया जाना [(1) ×(2)]						

टिप्पण.— जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त प्रविष्टि अ के विरूद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा भागतः व्ययन किया जाता है तो ऐसे माल के क्रय मूल्य का संगणना अनुपाततः की जाएगी।

## 6. क्रय कर (धारा 6 (1) (ख) और 8 देखें)

	परिस्थितियां जिनमें क्रय कर उद्गृहीत	विभिन्न	दरों पर	कर की दर	क्रय कर
	किया गया	कराधेय माल का			
		क्रय	मूल्य		
	(ক)	(र	ब्र)	(ग)	(ঘ)
(1)	अधिनियम की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट				
	माल का आवर्त्त				
(2)	राज्य में बिना कर के संदाय के क्रय किए	(i)			
	गए कराधेय माल का आवर्त्त, जब ऐसा				
	माल या उससे विनिर्मित माल या तो				
	राज्य से बाहर निर्यात किया गया है या				
	वह (सिवाय तब जब भारत के बाहर से	(4.4)			
	निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया गया है)	(ii)			
	इस प्रकार से उपयोग या व्ययनित किया				
	गया है कि राज्य का कोई कर या केन्द्रीय				
	विक्रय कर देय नहीं है।				
(3)	कुल जोड़ (1)+(2)				

टिप्पण : जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग या व्ययन भागतः उपरोक्त क्रम संख्या (2) की प्रविष्टि के विरूद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में किया जाता है और भागतः अन्यथा किया जाता है तो ऐसे माल पर उद्गृहीत क्रय कर की संगणना अनुपाततः की जाएगी।

## 7. आवर्त और केन्द्रीय विक्रय कर के अधीन कर दायित्व

	(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य	(ग) कर की रकम
(1)	अन्तर्राज्यिक विक्रय फार्म सी के विरूद्ध 2 प्रतिशत		
	की दर से		
(2)	अन्तर्राज्यिक विक्रय फार्म सी के विरूद्धप्रतिशत		
	की दर से		
(3)	अन्तर्राज्यिक विक्रय प्ररूपों के बिनाप्रतिशत की		
	दर से		
(4)	अन्यप्रतिशत की दर से		
(5)	कुल (1 से 4)		
(6)(क)	धारा 8–ए(1)(बी)(i) के अधीन विवरणी अवधि के		
	भीतर विक्रय का वापिस लौटाना		
(6)(ख)	धारा 8–ए(1)(बी)(i) के अधीन छः मास के भीतर		
	विक्रय का वापिस लौटाना		
	विक्रय का कराधेय आवर्त [5— {(6)(क)+(6)(ख)}]	_	

## 8. विक्रय या क्रयों पर उद्गृहीत करों का कुल

(1)	विक्रय पर कर [2 उ (झ)]	
(2)	क्रय कर [6(3) (घ)]	
(3)	कुल कर [8(1)+8 (2)]	

## 9. आगत कर प्रत्यय की संगणना (धारा 11 देखें)

(1)	अविक्रीत स्टाॅक पर आरम्भिक आगत कर प्रत्यय (धारा 11 (1) (i) देखें)	
(2)	पूंजी माल पर आरम्भिक आगत कर प्रत्यय	
(3)	राज्य में किए गए करों पर संदत्त कर [3 आ (ङ)]	
(4)	<b>कुल</b> [9(1)+9 (2)+9(3)]	
(5)	कम संदत्त कर, आगत कर का भाग नहीं है [5इ (3)]	
(6)	दावा योग्य आगत कर [9(4) — 9(5)]	
(7)	कम संदत्त कर, अविक्रित स्टॉक में अर्न्तवलित (धारा 11 (1) (i) देखें]	
(8)	पूँजी माल पर कम संदत्त कर भावी अवधियों के लिए अग्रनीत किया	
	जाने वाला [धारा 11(6) देखें]	
(9)	आगत कर प्रत्यय [9 (6)–9(7)–9(8)]	
(10)	अविक्रीत स्टॉक पर आगत कर, अग्रनीत [9(7)]	
(11)	पूंजी माल पर आगत कर अग्रनीत [9(8)]	

## 10. संदेय या समायोज्य कर (धारा 12 देखें)

(1)	सकल (कुल) संदेय कर [8(3)–9(9)]	
(2)	कम करकेः पिछली विवरणी से (आगे लाया गया) मूल्य परिवर्धित कर	
	के प्रति संदत्त आधिक्य	

	(1917), 16 119(1 ) 4(1, 15 12, 2010) 25 4(119, 100)	
(3)	संदेयकर [10(1)—10(2)]	
	यदि किसी आस्थगन / छूट स्कीम के अन्तर्गत आता हो (हॉ / नहीं)	हां / नहीं
	यदि हां, तो अधिसूचना संख्या, जिस के आधार पर ऐसा	
	आस्थगन / छूट का दावा किया जा रहा है	
	हकदारी प्रमाण पत्र संख्या	
	प्राप्यता (उपयोग करने) का वर्ष	
	उपरोक्त हकदारी प्रमाणपत्र के अनुसार संदत्त किए जाने हेतु	
	अपेक्षित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत	
	उपरोक्त हकदारी प्रमाणपत्र के अनुसार अग्रिम में (अपफ्रन्ट) संदत्त	
	किए जाने के लिए अपेक्षित कुल कर दायित्व की रकम का प्रतिशत	
	उपरोक्त हक्दारी प्रमाणपत्र के अनुसार आस्थिगित कुल कर दायित्व की	
	रकम् का प्रतिशत	
	उपरोक्त हकदारी प्रमाणपत्र के अनुसार छूट-प्राप्त कुल कर दायित्व	
	की रकम का प्रतिशत	
	(क) उपरोक्त स्कीम के अनुसार चालू अवधि के लिए संदाय हेतु देय	
	कुल कर दायित्व की कुल रकम	
	(ख उपरोक्त स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती अवधि में पूर्वतर में	
	आस्थिगित किए गए कर में से इस विवरणी अवधि में सँदाय हेतु	
(4)	देय कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(4)	उपरोक्त स्कीम के अनुसार इस विवरणी अवधि में संदाय हेतु देय कुल	
/;\	कर दायित्व की कुल रकम (क+ख) उपरोक्त स्कीम के अनुसार आज की तारीख तक आस्थगित कुल कर	
(i)	दायित्व की कुल रकम का आरम्भिक अतिशेष	
(ii)	इस विवरणी अवधि में आस्थगित कर की कुल रकम के आरम्भिक	
(11)	अतिशेष में से संदत्त किया गया कुल कर दायित्व	
(iii)	चालू अवधि के लिए आस्थगित कुल कर दायित्व की कुल रकम	
(111)	आगामी अवधि के लिए आस्थिगित कुल कर दायिव्य की कुल रकम	
	[(i)-(ii)+(iii)]	
(5)	कुल संदेय कर [10(3)] उन व्यौवहारियों के लिए जो	
(0)	आस्थगन / छूट स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं	
(6)	कुल संदेय कर [10(4)] (उन व्यवाहारियों के लिए जो	
(-/	आस्थगन / छूट स्कीम के अन्तर्गत आते हैं)	
L		l .

## 11. संदेय कर का सारांश

क्रम संख्या	संदेय कर	रकम
(1)	मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन संदेय शुद्ध कर	
(2)	पिछली विवरणी की अवधि से पूर्ववर्त्ती विवरणी में किसी विस्तार	
	तक निःशेषित नहीं हुए, अग्रनीत(आगे लाया गया) आगत कर प्रत्यय	
	(आई०टी०सी०), यदि कोई हो	
(3)	मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन संदेय शुद्ध रकम	
(4)	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन देय कर	
(5)	पिछली विवरणी से (आगे लाया गया) केन्द्रीय विक्रय कर के प्रति	
	संदत्त आधिक्य	
(6)	धारा 12 (2) के अधीन समायोजित किए जाने वाली आगत कर	
	प्रत्यय की रकम, यदि कोई हो;	
(7)	धारा 12 (3) के अधीन समायोजित किए जाने वाली आगत कर	
	प्रत्यय की रकम, यदि कोई हों;	

(8)	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन संदेय शुद्ध रकम	
(9)	आगामी विवरणी अवधि के लिए अग्रणीत किए जाने वाला आगत कर	
	प्रत्यय	

## 12. प्रवेश कर

उस माल	प्रयोजन, जिस	माल का मूल्य	प्रवेश कर	रियायती प्रवेश	प्रवेश कर
का विवरण	के लिए स्थानीय	υ.	की दर	कर की दर	की रकम
जिसकी प्रविष्टी	क्षेत्र में माल की			केवल नई	
स्थानीय क्षेत्र में	प्रविष्टि की गई			औद्योगिक	
हुई है	है			इकाईयों के	
3				लिए	

विवरणी	स्टॉक	स्टॉक	सैट	प्रवेशकर	कुल	संदेय	विनिर्दिष्ट	जमा
के	अन्तरण /	अन्तरण /	ऑफ	का	कुल संदेय	प्रवेश कर	कर,	की
अनुसार	शाखा	शाखा	रिबेट	समानुपात	प्रवेश	का	यदि	गई
संकल	अन्तरण /	अन्तरण /	का	सैट	कर	समानुपात	अन्य हो	रकम
आवर्त	भेजे हुए	भेजे हुए	प्रतिशत	ऑफ				
	माल के	माल की	जिसके	रिबेट				
	विक्रय का	बिक्री का	लिए					
	मूल्य	अनुपात	हकदार					
		प्रतिशत	है					

## 13. जमा किए गए कर के ब्यौरे :

क्रम संख्या	कर का प्रकार (टाईप)	खजाने का नाम, जहां पर कर जमा किया गया है या बैंक जिससे मांगदेय ड्राफ्ट/संदाय आदेश/क्रास चैक लिखा है		र	व्रजाना रसी	द	कार्यालय उप	ग्योग हेतु
	मू०प०क० / के०वि०क०	खजाना / बैंक	लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी.सी. आर संख्या	तारीख
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								
(6)		(संविदाकार द्वारा) (क) सरकारी संविदाकार द्वारा (ख) निजी संविदाकार द्वारा (संविदाकार के नाम सहित)						
(7)				कुल [	(1 से (6)]			

_ \			
प्रा	IИ	U	П

मैं.......(नाम साफ अक्षरों में), एतद्द्वारा, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय—वस्तुएं, सूचियां, विवरणियां, घोषणाएं, प्रमाण-पत्र तथा इसस सलग्न या इसक साथ दाखिल किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

तारीखः

(हस्ताक्षर)

हैसियतः आवेदन पर निशान ( $\sqrt{\ }$ ) लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडेन्ट), सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

टिप्पणः वित्तीय वर्ष 2014–15 तक की विवरणियां पुराने प्ररूप मू०प०क0–XV पर दाखिल की जाती रहेगीं और इन नियमों के अधीन यथा प्रतिस्थापित उपरोक्त प्ररूप इन मामलों में लागू नहीं होगा ।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English text of Government Notification No. EXN-F(10)-8/2013-Loose dated 15.05.2015 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### **NOTIFICATION**

Shimla-171002, 15<sup>th</sup> May, 2015

- **No. EXN-F(10)-8/2013-Loose.**—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, notified vide this Department Notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 7th December, 2005, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax(2nd Amendment) Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on 1st day of April, 2015.
- **2. Substitution of Form VAT-XV.**—For the Form VAT-XV appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, the following Form shall be substituted, namely:--

### "Form VAT-XV

[See rule 17(vii) and 40 (1) of HP VAT Act, 2005]

[See rule 7 of CST(H.P.) Rules, 1970]

[See rule 6 of HP Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010]

# RETURN FOR THE MONTH/QUARTER ENDED ON:

D D M M Y Y Y Y

1.	Deal	ler's	ide	ntity
	Dun		Iuc	11 616 9

Name and style of business	M/s						
Address		Conta	ct No				
Tax payer's Identification Number		Economic					
		Activ	ity Co	ode			
Permanent Account Number under In	come Tax Act						
Place and circle of Income Tax							
Assessment:							

2. Gross turnover, deductions from gross turnover taxable turnover of sales and computation of  $tax(see\ sections\ 2(zd),6\ and\ 9\ of\ the\ Act)$ 

	(a) Description	(b)	Value	of	( )
		goods	•		appended to the return
2A.	(1) Sale price received and receivable for goods sold during return period				Teem II
	(2) Value of goods sent within or outside the State otherwise than by way of sale				
2B.	Gross turnover [(1) + (2) ]				
2C.	<b>Deductions from Gross Turnover [ section 6 (3)]</b>				
(1)	Sale of tax-free goods under section 9				
(2)	Goods sent to local agents(registered dealers) for sale				
(3)	Sale to Exporters within the state (against Form H)				
(4)	Any other sale/transfer eligible for deduction under HP VAT Act,2005 not covered under Col. 2C (1),(2) and (3) of above (Please specify)				
(5)	Sale in the course of inter-State trade or commerce (against Form C or against Form C + Form E-I)				
(6)	Sale in the course of import into India				
(7)	Sale in the course of export out of India				
(8)	Sales outside the State of goods purchased outside the State (against Form C+ Form E-II)				
(9)	Value of goods sent otherwise than by way of sale:-				
	(i) in the course of inter-State trade or commerce(against Form F)				
	(ii) in the course of export out the territory of India				
(10)	Any other sale eligible for deduction/ any other deductions under CST Act not covered from (4) to (9) above (Please specify)				
(11)	Total of (1) to (10)				

2D.	Taxable turnover of sales [2B(b)-2C(11)(b)]	LS-I

2E.	(a) Break-up of 2D according to rate of tax	(b) Effect of return of goods and de- escalation [LS-II]	(c) Effect of Purchases made from Exempted Unit(Less Purchase Value: Value Addition only)	(d) Effect of Purchases of goods specified in Schedule- "C" (Less Purchase Value: Value Addition only)	(e) Net taxable turnover [(a)- {(b)+(c) +(d)}]	(f) Rate of Tax	(g) Was this sale made against Form- XLIII? (Applicable only in case of sale @4%)	(h) Please furnish Form- XLIII Number (If answer to column (g) is yes)	(i) Amount of Tax paid [(e) x(f)]
(1)						%			
(2)	Total Tax Amount								

# 3. Purchase, import and receipt of goods and computation of amount of tax paid on purchases made in the State

3A.	(a) Description	(b) List Appended to return	(c) Amount
	Aggregate price/value of goods		
(1a)	Purchased from registered dealers in the State on tax invoice	LP-I	
(1b)	Aggregate price/ value of capital goods eligible for input tax credit	LP-I	
(1c)	Purchase of the goods(other than those listed under entry No.55 of part-II-A of Schedule-A) for use as industrial inputs(against Form-XLIII)	LP-I	
(1d)	Aggregate price/ value of goods purchased from Registered Exempted Unit		
(2)	Purchased from other dealers without tax invoice		
(3a)	Purchased in the course of inter-State trade or Commerce(against Form C)		
(3b)	Capital Goods Purchased in the course of inter-State trade or commerce (against Form C)		
(4a)	Purchased in the course of import into India		
(4b)	Capital Goods Purchased in the course of import into India		
(5a)	Purchased from outside the state in the course of export out of India (against Form H)		
(5b)	Purchased from within the state in the course of export out of India (against Form H)		
(6)	Imported into the State		
(7)	Purchased from outside the State for sales outside the State		
(8)	Received for sale from dealers registered in the State		
(9)	Received for sale from dealers outside the State (against Form F)		
(10)	Purchases against Form I		

(11)	Any other purchases/ receipts not covered from (1) to	
	(10) above(Please specify)	
(12)	Total [(1) to (11)]	

3B.	(a) Break-up of 3A(1)(a)+3A(1) (b)+3A(1)(c) according to rate of tax	(b) Effect of return of goods and of price [LP-II]	(c) Net taxable purchases [(a) - (b)]	(d) Rate of tax	(e) Amount of Tax Paid [(c) x (d)]
(1)				%	
(2)				%	
(3)				%	
(4)				%	
(5)	Total amount of tax paid on purchases				

## 4. Statutory declarations and certificates received from other dealers furnished with the return.

Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(1)	С		
(2)	E-I		
(3)	E-II		
(4)	F		

Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(5)	Н		
(6)	Ι		
(7)	J		

# 5. Computation of tax paid in respect of goods purchased in the State from registered dealers on tax invoice but which shall not form part of input tax credit (See section 11 of HP VAT Act)

Cir	cumstances in which tax paid in respect of purchase of certain	Purchase Value
goo	ds not to form part of input tax credit	
	(a)	<b>(b)</b>
A.	All goods except mentioned as purchased from registered dealers on	
	tax invoice when,-	
(1)	used in the telecommunication network, or in the generation and	
	distribution of electricity or other form of power.	
(2)	the tax on their purchase was paid @ 4% or less but such goods are	
	disposed of otherwise than by way of sale	
(3)	used in manufacture or packing of goods declared tax-free under	
	section 9 except when such goods are sold in the course of export out	
	of India.	
(4)	left in stock, whether in the form purchased or in manufactured or	
	processed form, on the day of closure of business or cancellation of	
	the registration certificate.	
(5)	made in the circumstances specified in section 11(7)(c)	
(6)	covered by section 11(7)(d) and (e)	
(7)	used for the purpose specified in section 11(7)(j)	

(8) tax invoice is not available or not issued or original tax invoice issued	
does not show separate details of tax charged	
(9) purchases from an industrial unit after paying concessional rate of tax	
(10) covered by Schedule of Input Tax restricted Goods as provided u/s	
11(8)	
(11) other purchases, tax paid in respect of which not to form part of input	
tax credit	
(12) purchase of fuel and lubricants made in the circumstances specified in	
section 11(3)	
(13) purchase of goods other than fuel and lubricants made in the	
circumstances specified in section 11(4)(a) and 11(4)(b)	

### B. Total [(1) to (13)]

C. Calculation of input tax at	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
different rates						Total (c) to (g)
(1) Break-up of A(b) according						
to tax rate						
(2) Rate of tax	%	%	%	%	%	
(3) Input tax to be reversed						
$[(1) \times (2)]$						

Note:-- Where any goods purchased in the State are used or disposed off partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries in A above and partly otherwise, the purchase value of such goods shall be computed pro rata.

### 6. Purchase tax (See section 6 (1) (b) and 8)

Circ	umstances in which purchase tax levied	Purchase value of goods taxable at different rates	Rate of tax	Purchase tax
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	Turnover of goods specified in Schedule 'C' of the			
	Act			
(2)	Turnover of taxable goods purchased in the State	(i)		
	without payment of tax when such goods or the			
	goods manufactured therefrom are either exported out of State or used or disposed off (except when sold in the course of export out of India) in a			
	manner that no tax or CST is payable to the State			
(3)	Total $(1) + (2)$			

Note:-- Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries at serial number (2) above and partly otherwise, the purchase tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

## 7. Turnover and Tax Liability under CST

	(a) Description	(b) Value of goods	(c) Amount of tax
(1)	Inter-State sale against Form C @2%		
(2)	Inter-State sale against Form C@%		
(3)	Inter-State Sales without Forms @		
	%		
(4)	Other @ %		
(5)	Total (1 to 4)		
(6)(a)	Sales return of goods within return period under section 8A (1)(b)(ii)		
	Taxable turnover of sales [5- {6(a)+6(b)}]		

## 8. Aggregate of tax levied on sale or purchases

(1)	Tax on Sales [2E (i)]	
(2)	Purchase Tax [6(3)(d)	
(3)	Total tax	
	[8(1)+8(2)]	

## 9. Computation of Input tax credit (See-section 11)

(1)	(1) Opening Input Tax Credit on unsold stock [See Section 11(1)(i)]	
(2)	Opening Input Tax Credit on Capital Goods	
(3)	(3) Tax Paid on purchases made in the State [3B(e)]	
(4)	Total [9(1)+9(2)+9(3)]	
(5)	Less Tax Paid, not part of input tax [5C(3)]	
(6)	Claimable Input Tax [9(4)-9(5)]	
(7)	Less Tax Paid but involved in unsold stock[See Section 11(1)(i)]	
(8)	Less Tax Paid on capital goods, to be carried forward to future periods [See Section 11(6)]	
(9)	Input Tax Credit [9(6)-9(7)-9(8)]	
(10)	Input Tax on Unsold Stock Carried Forward [9(7)]	

(11)	Input Tax on Capital Goods Carried Forward	
	[9(8)]	

## 10. Tax payable or adjustable (See section 12)

(1)	Gross Tax Payable [8(3)-9(9)]	
(2)	Less: Excess paid towards VAT brought forward	
	from last return	
(3)	Tax Payable [10(1)-10(2)]	
If Cov (Yes/N	ered under any Deferment/Exemption Scheme o)	Yes/No
If yes	s, Notification No. based on which such ent/exemption is being claimed:	
Entitle	nent Certificate Number:	
Year of	Availment:	
	mount of the total tax liability required to be paid as above entitlement certificate	
	mount of the total tax liability required to be paid as per the above entitlement certificate	
above e	mount of the total tax liability deferred as per the entitlement certificate	
	mount of the total tax liability exempted as per the entitlement certificate	
	al amount of the total tax liability due for payment current period as per the above scheme	
this ret	l amount of the total tax liability due for payment in urn period out of the tax deferred earlier in previous as per the above scheme	
(4)	Total amount of the total tax liability due for payment in this return period as per the above scheme (a+b)	
(i)	Opening balance of the total amount of total tax liability deferred till date as per the above scheme	
(ii)	Total tax liability paid out of the opening balance of the total amount of deferred tax in this return period	
(ii)	Total amount of the total tax liability deferred for the current period	
Total a	mount of the total tax liability deferred to future	
	(i-ii+iii)	
	Tax Payable [10(3)] (For dealers not covered under erment/exemption scheme)	
•	t Tax Payable [10(4)] (For dealers covered under	
	ent/exemption scheme)	
	•	

## 11. Summary of Tax payable

Sr.	Tax Payable	Amount
No.		
1.	Net tax payable under VAT Act	
2.	ITC from last return period brought forward to the	
	extent not exhausted in previous return period, if	
	any	
3.	Net Amount payable under VAT Act	
4.	Tax due under CST Act	
5.	Excess paid towards CST brought forward from	
	last return	
6.	Amount of Input Tax Credit to be adjusted under	
	section 12(2), if any	
7.	Amount of Input Tax Credit to be adjusted under	
	section 12(3), if any	
8.	8. Net amount payable under CST Act	
9.	ITC to be carried forward to next return period	

## 12. Entry Tax

Description of goods entered into local area	Purpose for which entry of goods caused into local area	Value of goods	Rate of Entry Tax	Rate of Concessional Entry Tax for New Industrial Units only	Amount of Entry Tax

Gross	Value of	% Ratio	% of Set	Proportionate	Net	Proportion	Specify,	Amount	l
Turnover	Stock	of Stock	Off/	Rebate/	Entry	of Entry	If	Deposited	l
as per	Transfer/	Transfer/	Rebate	Set Off	Tax	Tax	others		l
return	Branch	Branch	to which	of Entry Tax	Payable	Payable			l
	Transfer/	Transfer/	entitled						l
	Consignment	Consignment							l
	Sale	Sale							l
									ĺ

## 13. Details of tax deposited

Sr.	Tax	Name of treasury where tax		Treasury receipt			For office use	
No.	Type	deposited or bank on which DD/		1				
		Pay order/ crossed cheque drawn/						
		RAO						
	VAT	Treasury Bank	Type of	No.	Date	Amount	DCR	Date
	/CST	•	instrument				No.	
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								
(6)		(by						

Place:

concealed therefrom.

Date:

[Signature]

Status:  $Tick(\sqrt{\ })$  application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary,manager, authorized officer].

Note: The returns upto the financial year 2014-15 shall continue to be filed on old form VAT-XV, and the above form as substituted under these rules shall not apply in those cases.".

By order, Sd/-Principal Secretary (E&T).

# In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

- 1. Naresh Kumar, aged 30 years s/o Shri Amar Singh, r/o Village Kashyana, P.O. Dhanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.
- 2. Reeta Devi, aged 27 years d/o Shri Shashi Pal Singh, r/o Ram Cottage, Vijay Nagar, Near H.P. Petrol Pump, Kasumpati Shimla, District Shimla, H.P.

### Versus

### General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Naresh Kumar, aged 30 years s/o Shri Amar Singh, r/o Village Kashyana, P.O. Dhanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Reeta Devi, aged 27 years d/o Shri Shashi Pal Singh, r/o Ram Cottage, Vijay Nagar, Near H.P. Petrol Pump, Kasumpati Shimla, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special

Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 28-4-2015 at Shiv Mandir, Bhiar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-6-2015. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 6-5-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAKESH KUMAR SHARMA,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

NOTICE:

Naresh Kumar, aged 30 years s/o Shri Amar Singh, r/o Village Kashyana, P.O. Dhanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Reeta Devi, aged 27 years d/o Shri Shashi Pal Singh, r/o Ram Cottage, Vijay Nagar, Near H.P. Petrol Pump, Kasumpati Shimla, District Shimla, H.P. have submitted an application in this office regarding registration of their marriage which has taken place on 28-4-2015 at Shiv Mandir Bhiar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur in the presence of their relatives and friends. In this support they have submitted their affidavits, address & age proof of Naresh Kumar & Reeta Devi. Therefore, general public is invited to file their objections if any, regarding this marriage in this office before the next date of hearing *i.e.* 22-6-2015. If no objections are received in this office during this period, necessary order shall be passed.

RAKESH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

- 1. Anish Kumar, aged 34 years s/o Shri Banarsi Dass, r/o Village Bindla (Dhirar), P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.
- 2. Silma, aged 21 years d/o Late Shri Dhupu Ram, r/o Village Lohari, P. O. Raison, Tehsil & District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Anish Kumar, aged 34 years s/o Shri Banarsi Dass, r/o Village Bindla (Dhirar), P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Silma, aged 21 years d/o Late Shri Dhupu Ram, r/o Village Lohari, P. O. Raison, Tehsil & District Kullu (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 5-5-2012 at Nabahi Devi Mata Mandir, Nabahi Devi, District Mandi as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-5-2015. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 1-5-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAKESH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

### NOTICE:

Anish Kumar, aged 34 years s/o Shri Banarsi Dass, r/o Village Bindla (Dhirar), P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Silma, aged 21 years d/o Late Shri Dhupu Ram, r/o Village Lohari, P. O. Raison, Tehsil & District Kullu, H.P., have submitted an application in this office regarding registration of their marriage which has taken place on 5-5-2012 at Nabahi Devi Mata Mandir, Nabahi Devi, District Hamirpur in the presence of their relatives and friends. In this support they have submitted their affidavits, address & age proof of Anish Kumar & Silma. Therefore, general public is invited to file their objections if any, regarding this marriage in this office before the next date of hearing *i.e.* 31-5-2015. If no objections are received in this office during this period, necessary order shall be passed.

RAKESH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री विजय कुमार पुत्र श्री जीवा नन्द, गांव पीपटी सेरी, फाटी तूनन, ग्राम पंचायत तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) बनाम

आम जनता प्रितवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री विजय कुमार पुत्र श्री जीवा नन्द, गांव पीपटी सेरी, फाटी तूनन, ग्राम पंचायत तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री गामिनी ठाकुर का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं कर सका हूं और उसकी पुत्री गामिनी ठाकुर का जन्म 6—4—2014 में हुआ है जिस विषय में उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है सायल ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रिजस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गामिनी ठाकुर पुत्री विजय कुमार का नाम व जन्म ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 28—5—2015 को असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को पंजीकृत नाम व जन्म के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 6-5-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री चैन राम पुत्र श्री सबी राम, गांव अर्सू, फाटी अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ः वादी।

बनाम

आम जनता प्रितवादी।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री चैन राम पुत्र श्री सबी राम, गांव अर्सू, फाटी अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी एक पुत्री शशी बाला का जन्म हुआ है उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं कर सका हूं और उसकी पुत्री का जन्म 11—3—2005 में हुआ है जिस विषय में उसने अपना ब्यान हिक्फया भी प्रस्तुत किया है सायल ने ग्राम पंचायत अर्सू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शशी बाला पुत्री चैन राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 28—5—2015 को असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक उतराज प्रस्तुत करे उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत अर्सू को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक ......2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

\_\_\_\_\_

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री टिकम राम, ग्राम बाहवा, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री टिकम राम, ग्राम बाहवा, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके एक पुत्र कर्म चन्द का देहान्त को चुका है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अविध में कटा नहीं सकी हूं और उसके पुत्र की मृत्यु दिनांक 22—6—2003 को हो चुकी है जिस विषय में उसने अपना ब्यान हिन्फया भी प्रस्तुत किया है सायला ने ग्राम पंचायत बाहवा में उसके परिवार रिजस्टर से काटने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कर्म चन्द पुत्र टिकम राम का नाम ग्राम पंचायत बाहवा से काटने बारे एतराज हो तो दिनांक 28–5–2015 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम ग्राम पंचायत बाहवा से काटने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत बाहवा को पंजीकृत नाम काटने के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 6-5-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता बस्नेत पत्नी श्री दिवाकर बस्नेत, निवासी वांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

बनाम

#### आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969. नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सुनीता बस्नेत पत्नी श्री दिवाकर बस्नेत, निवासी वांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 26—5—1980 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शनाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुनीता बस्नेत की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपित हो तो वह दिनांक 5—6—2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

\_\_\_\_\_

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, निवासी वाहंग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

बनाम

#### आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, निवासी वांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 23—11—1993 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शनाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दीपक शर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5—6—2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

\_\_\_\_\_

ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री जोग चन्द, निवासी सियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

बनाम

#### आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती बन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री जोग चन्द, निवासी सियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विनोद कुमार का जन्म दिनांक 25—4—1989 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नसोगी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विनोद कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपित हो तो वह दिनांक 27—5—2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

## In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, (Rural), District Mandi (H. P.)

In the matter of:

- 1. Shri Aseem Gorsi s/o Shri Surjeet Gorsi, r/o Village Takoli, P.O. Panarsa, Sub-Tehsil Aut, District Mandi, H.P.
- 2. Smt. Komal Gorsi d/o Shri Paras Ram, r/o Village Dhawali, P.O. Chured, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (at present wife of Shri Aseem Gorsi s/o Shri Surjeet Gorsi, r/o Village Takoli, P.O. Panarsa, Sub-Tehsil Aut, District Mandi, H. P.) . . . Applicants.

### Versus

### General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Aseem Gorsi s/o Shri Surjeet Gorsi, r/o Village Takoli, P.O. Panarsa, Sub-Tehsil Aut, District Mandi, H.P. and Smt. Komal Gorsi d/o Shri Paras Ram, r/o Village Dhawali, P.O. Chured, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (at present wife of Shri Aseem Gorsi s/o Shri Surjeet Gorsi, r/o Village Takoli, P.O. Panarsa, Sub-Tehsil Aut, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-10-2008 according to Hindu rites and customs at Takoli, Sub-Tehsil Aut, District Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-6-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 8<sup>th</sup> day of May, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती नीलपती उपनाम कौशलया देवी पत्नी श्री केशव राम, निवासी अम्बोई, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

#### आम जनता

आवेदिका श्रीमती नीलपती उपनाम कौशलया देवी पत्नी श्री केशव राम, निवासी अम्बोई, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दिनांक 1—5—2015 को एक आवेदन पत्र राजस्व रिकार्ड चक अम्बोई में श्रीमती कौशलया देवी पत्नी श्री केशव राम की जगह श्रीमती नीलपती पत्नी केशव राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारा प्रस्तुत किया है आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि आवेदिका का नाम राजस्व रिकार्ड चक अम्बोई में नीलपती की जगह कौशलया देवी पत्नी केशव राम गलती से दर्ज हुआ है। आवेदिका ने प्रार्थना—पत्र के साथ नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड की छायाप्रति व नाम नीलपती दर्ज करने बारा शपथ पत्र भी संलग्न किया है।

इसलिए आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–5–2015 को इस अदालत में आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा राजस्व रिकॉर्ड चक अम्बोई में कौशलया देवी की जगह नीलपती नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 2-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

सुरजन सिंह पुत्र हरी दास, निवासी पेजा, तहसील चड़गांव ने एक प्रार्थना पत्र मृतक पिता का नाम ग्राम पंचायत खशाधार के परिवार रजिस्टर से कटवाने बारे इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने शपथ पत्र में दर्शाया है कि मेरे स्व0 पिता का नाम ग्राम पंचायत खशाधार के परिवार रजिस्टर में दर्ज है। जिस की जन्म तिथि 1917 है। पिता की मृत्यु 20—6—1989 को हो चुकी है जिसे मैं परिवार रजिस्टर से समय पर नहीं कटवा सका। अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम ग्राम पंचायत खशाधार के परिवार रजिस्टर से कटवाने बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28—5—2015 को न्यायालय में आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृतक के नाम कटवाने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 2-5-2015 के मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला (हि० प्र०)। ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि० प्र०)

श्रीमती शंकर दासी पत्नी विश्न दास, निवासी बखोली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि० प्र०)

बनाम

### आम जनता

आवेदिका श्रीमती शंकर दासी पत्नी विश्न दास, निवासी बखोली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दिनांक 24—4—2015 को ग्राम पंचायत कुलगांव तहसील चड़गांव में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है दरख्वास्त के साथ आवेदिका ने नकल जमाबन्दी, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, विधान सभा क्षेत्र के परगना का अभिलेख, आधार कार्ड की प्रतिलिपि लफ की है। दस्तावेजों के अवलोकन करने से पाया कि आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सेन्सरमणी पत्नी विशन दास दर्ज है। लेकिन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में आवेदिका का नाम शंकर दासी पत्नी विश्न दास है। आवेदिका ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सेंसर मणी के स्थान पर शंकर दासी पत्नी विश्न दास दर्ज करवाना चाहती है। जिस सन्दर्भ में आवेदिका द्वारा शपथ—पत्र भी लफ किया है। इसलिए आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28—5—2015 को इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में सेंसर मणी के स्थान पर शंकर दासी नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री सिता राम आदि बनाम संत राम आदि निवासी सननू, परगना पराली, उप—तहसील नेरूवा विषय.—प्रार्थना पत्र तकसीम बारे।

नोटिस बनाम (आम जनता) ग्यारु पुत्र सनीया निवासी सननू, परगना पराली, उप—तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)—171210.

श्री सिता राम आदि पुत्र श्री मुरु राम, निवासी सननू, परगना पराली, उप—तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने खाता खतौनी नं0 25/77, खसरा नं0 751, रकबा 0—10—49, खाता खतौनी नं0 21/37, खसरा नं0 313, 329, रकबा तादादी 0—16—55, खाता नं0 5/6, खसरा नं0 429, रकबा तादादी 0—08—36 है0, खसरा नं0 430, रकबा तादादी 0—03—01 है0, खाता खतौनी नं0 7/7, खसरा नं0 437, रकबा तादादी 0—03—10 है0, खाता खतौनी नं0 8/8, खसरा नं0 424, रकबा तादादी 0—01—39 है0, खाता नं0 9/9, खसरा नं0 427, रकबा तादादी 0—03—28 है0, खसरा नं0 428, रकबा तादादी 0—01—13 है0 चक उप—मुहाल मान्दल, खाता खतौनी नं0 1/1, कित्ते 77, रकबा तादादी 06—57—61 है0 वाका चक सननू, परगना पराली का कानूनी तकसीम हेतु आवेदन किया है। सुनवाई के दौरान व तामील कुनिंदा की रिपोर्ट से पाया कि प्रतिवादी ग्यारु काफी समय से लापता है और समन की तामील साधारण तरीका से नहीं हो पा रही है। अतः इस इश्तहार के मार्फत प्रतिवादी ग्यारु अथवा उसके निकट सम्बन्धी अन्य आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि की कानूनी तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21—5—2015 को इस अदालत में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश करें दीगर सूरत

में ग्यारु प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मिसल में आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र०।

\_\_\_\_\_

### Before the Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan, District Solan, H. P.

In the matter of:

Shri Hukam Dutt Sharma s/o Shri Krishan Dutt, r/o Village Padol, P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, District Sirmour, Himachal Pradesh . . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

### **NOTICE**

Whereas applicant Shri Hukam Dutt Sharma s/o Shri Krishan Dutt, r/o Village Padol, P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, District Sirmour, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of birth *i.e.* 19-4-2003 of his daughter named Shailly Sharma in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan, as his date of birth has not been entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil and District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth *i.e.* 19-4-2003 of Shailly Sharma in the Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 17<sup>th</sup> June, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Shailly Sharma in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate, Solan, District Solan, H. P.